

SIXTH SEMESTER (SCHEME-2012)
MODERN OFFICE MANAGEMENT
E-COMMERCE AND MIS

Time : Three Hours**Maximum Marks : 70**

Note : i) Attempt one question from each unit. All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न हल कीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

UNIT - I / इकाई - I

1. What is management information system? Explain. 14

सूचना प्रबंध प्रणाली क्या है? विस्तार से समझाइए।

Or / अथवा

Write short note:-

- | | |
|-------------------|---|
| a) The market | 7 |
| b) Shopping malls | 7 |

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

अ) बाजार

ब) शॉपिंग मॉल

UNIT - II / इकाई - II

2. What is E-Business? What are applications and advantages of business? 14

ई-बिजनेस क्या है? ई-बिजनेस के उपयोग तथा लाभों को समझाइए।

Or / अथवा

Write short notes on the following:-

- | | |
|----------------------|---|
| a) E-com application | 7 |
| b) E-Business | 7 |

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- अ) ई-कॉम अनुप्रयोग
 ब) ई-बिजनेस

UNIT - III / इकाई - III

3. What do you understand by "Direct Marketing" and "One-to-One" Marketing? 14

“प्रत्यक्ष विपणन” और “एक-एक विपणन” से आप क्या समझते हैं?

(3)

Or / अथवा

Write short note:-

- a) On-line shopping 7
- b) On-line marketing strategy 7

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- अ) ऑन-लाइन खरीदारी
- ब) ऑन-लाइन विपणन रणनीति

UNIT - IV / इकाई - IV

4. What is electronic payment system? Explain briefly. 14

इलेक्ट्रॉनिक-पेमेंट सिस्टम क्या है? विस्तार से समझाइए।

Or / अथवा

- a) Explain Net Banking processing. 7
नेट-बैंकिंग प्रक्रिया को समझाइए।
- b) Explain debit card processing. 7
डेबिट-कार्ड प्रक्रिया को समझाइए।

320 ✓

F/2015/6570

P.T.O.

(4)

UNIT - V / इकाई - V

5. What do you mean by IT Act (Amend) 2008? 14
आय.टी. एक्ट (संशोधित) 2008 से आप क्या समझते हैं?

Or / अथवा

Write short note:-

- a) Botnet 7
- b) Law and punishment for hacking 7

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- अ) बोटनेट
- ब) हैकिंग के लिए दण्ड और कानून



321

F/2015/6570